न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील सख्या–346/2020 (GCMS No. 2020/00353) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामेश्वर उम्र 70 वर्ष पुत्र कंचनसिंह जाति ठाकुर निवासी बरखेडा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र पाती
2. रामऔतारी पुत्र पाती
3. जयराम पुत्र पाती
4. अनारदेई पत्नि पाती

समस्त जातिगण जाटव निवासीगण बरखेडा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

5. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय आवंटन सलाहकार समिति अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 03.06.1989

उपस्थिति:–

1. हरवीर सिंह, वकील अपीलान्ट

नि र्ण य

दिनांक : 14.02.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आवंटन आदेश दिनांक 03.06.1989 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि खसरा नम्बर 48 रकवा 14 विस्वा बांके ग्राम बरखेडा तहसील सैपऊ जो विवादग्रस्त है। विवादग्रस्त आराजी साविक ख.नं. 199 रकवा 4 बीघा 6 विस्वा अपीलान्ट के पूर्व पुरूष पहाड सिंह की जमीदारी की आराजी थी एवं अपीलान्ट के पूर्व पुरूष जमीदारी के समय से ही खुद काश्त करते रहे हैं। संवत्

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2017 में अपीलान्ट स्वयं अन्य काश्तकारों के साथ व हिस्सा बराबर काबिज काश्त करते रहे हैं तथा वर्तमान में इसके हाल ख.नं. 48 पर अपीलान्ट वहैसियत काश्त कर रहा है। रेस्पोडैन्टस के पिता के नाम उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 48 विधि विरूद्ध आवंटित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध आदेश दिनांक 18.03.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस अपीलान्ट सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। साबिक ख.नं. 199 में अपीलान्ट के पूर्व पुरूष जमींदारी के समय से ही खुद काश्त करते थे। सम्वत् 2017 से उक्त ख.नं. में अपीलान्ट स्वयं रामेश्वर पुत्र कंचनसिंह, बंशी पुत्र चन्दन सिंह, देवाराम पुत्र पहाडसिंह, सूबालाल पुत्र दरयावसिंह एवं भोलाराम पुत्र अन्तराम व हिस्सा बराबर काबिज है। वर्तमान में ख.नं. 48 पर अपीलान्ट वहैसियत खातेदार काश्त कर रहा है। बन्दोवस्त की कार्यवाही सम्वत् 2024 के दौरान अपीलान्ट का नाम ख.नं. 48 में उपकृषक के खाने में लिखा गया बाद में बन्दोवस्त की जमाबन्दी बनाते समय अपीलान्ट के नाम का लोप कर दिया गया लेकिन अपीलान्ट उक्त नम्बर पर लगातार काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ धारा 19 ए.ए. आरटीएक्ट के तहत अपीलान्ट की हैसियत खातेदार की हो चुकी है। रेस्पोडैन्ट द्वारा विवादग्रस्त आराजी उनके पिता के नाम आवंटित हो गई है तथा उनके पिता के नाम खातेदारी करा ली है। रेस्पोडैन्ट के पिता ने आवंटन प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 3 नियम 8 के तहत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 101 के अन्तर्गत राजकीय भूमि बिना कब्जा की कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन कराने के लिए ख.नं. 62 रकवा 3 बीघा 1 विस्वा, 67 रकवा 14 विस्वा, 64 मिन रकवा 13 विस्वा, 149 रकवा 3 बीघा 8 विस्वा बांके ग्राम बरखेडा में से क्रमशः 2 बीघा, 14 विस्वा, 13 विस्वा एवं 2 बीघा कुल 5 बीघा 7 विस्वा के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर किसी का कब्जा नहीं था। पटवारी हल्का द्वारा भी ख.नं. 62 रकवा 2 बीघा, 67 रकवा 14 विस्वा, 64 रकवा 13 विस्वा एवं 149 रकवा 2 बीघा कुल रकवा 5 बीघा 7 विस्वा के आवंटन की सिफारिश की थी। ख.नं. 48 को न तो रेस्पोडैन्ट के पिता ने मांगा न पटवारी हल्का ने उसकी सिफारिश की। आवंटन दिनांक 03.06.1989 मिस प्रजेन्टेशन व फर्जी तरीके से एवं नियमों के विरूद्ध किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त होते ही उक्त अपील दायर की है। जानबूझकर देरी नहीं की है। धारा 5 मियाद अधिनियम का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपील में हुई देरी को क्षमा करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ख.नं. 48 रकवा 14 विस्वा बांके ग्राम बरखेडा का आवंटन निरस्त किया जावे।

4. बहस अपीलान्ट पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलाधीन विवादित ख.नं. 48 रकवा 14 विस्वा बांके ग्राम बरखेडा जिसके साविक ख.नं. 199 रकवा 4 बीघा 6 विस्वा है, पर अपीलान्ट के पूर्व पुरूष पहाड सिंह की जमीदारी थी एवं काबिज काश्त थी। राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2017 से लगातार काविज काश्त चला आ रहा है। दिनांक 08.06.2016 से रेस्पो. ने उक्त अपीलाधीन आदेश की आड में बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। जिसकी नकल दिनांक 20.06.16 को प्राप्त होने पर अपील पेश की। अपील में हुई देरी क्षमा की जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 03.06.1989 के विरूद्ध अपील दिनांक 28.06.2016 को लगभग 27 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। धारा 5 नियम के प्रार्थना पत्र में उक्त 27 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है। केवल यह कथन कि दिनांक 28.06.2016 को रेस्पो. ने विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी से जानकारी मिलना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत नहीं होता। अपीलान्ट ने उक्त धमकी बावत् भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अपीलान्ट के पास इतने लम्बी अवधि पश्चात् अपील पेश करने पर देरी के संबंध में यथोचित कारण होना चाहिए था। अतः उक्त देरी किसी भी स्तर पर क्षमा योग्य प्रतीत नहीं होने के कारण अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर पेश किये जाने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

5. चूँकि प्रकरण में गुणावगुण पर भी बहस की जा चुकी है। अतः गुणावगुण पर विवेचन किया जाना भी न्यायोचित नहीं है। जहॉ तक अपील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट के पूर्वज विवादित आराजी पर संवत् 2017 से ही लगातार काबिज काश्त रहे हैं। आज भी काबिज काश्त है। रेस्पो. के पिता द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी का उल्लेख नहीं किया। न ही पटवारी हल्का ने विवादित आराजी आवंटन की सिफारिश की। अतः उक्त आवंटन गलत रूप से किया गया है जो खारिज किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि रेस्पो. 1 लगायात 4 के पिता को अन्य आराजीयात के साथ–साथ विवादित आराजी ख.नं. 48 रकवा 14 विस्वा का आवंटन अपीलाधीन आदेश से किया गया। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत् 2022 ख.नं. 48 रकवा 14 विस्वा साविक ख.नं. 199 मिन 17 विस्वा से बना है। जमाबन्दी संवत् 2014–17 के कॉलम संख्या 5 भूमि अधिकारी ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नाम में शामलात देवाराम का उल्लेख है। विशेष विवरण के कॉलम में बंशी पुत्र तरनासिंह, देवाराम पुत्र पहाडसिंह, सूवालाल पुत्र दरयावसिंह, थोलाराम पुत्र अतराम का नाम अपीलान्ट रामेश्वर पुत्र कंचनसिंह के साथ उल्लिखित है। अपीलान्ट का कथन है कि उनके पूर्व पुरूष पहाडसिंह की जमींदारी से ही विवादित आराजी पर काश्त करते आ रहे हैं। पूर्व पुरूष पहाडसिंह से उसका क्या संबंध है। इस बावत् अपीलान्ट ने कहीं भी कथन नहीं किया। खसरा सम्वत् 2019 भू प्रबंध विभाग में अपीलान्ट का नाम उपकृषक के कॉलम में उल्लेख किया है। खसरा संवत् 2018–19 तथा 2022–23 में ख.नं. 199 पर विशेष विवरण में नाजायज कब्जा अपीलान्ट का अन्य लोगों के साथ साथ उल्लिखित किया गया है। जमाबन्दी संवत् 2042–46 में उक्त विवादित आराजी मिसिल खसरा सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट द्वारा संवत् 2023 से 2043 तक की अवधि का विवादित आराजी बावत् ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे स्पष्ट होता है कि वह विवादित आराजी पर लगातार काविज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट का यदि कोई कब्जा संवत् 2023 तक विवादित आराजी पर था तो वह काश्तकार खातेदार के रूप में न होकर एक नाजायज कब्जे के रूप में अन्य व्यक्तियों के साथ रहा था। आवंटन के समय अपीलान्ट का कब्जा हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट ने पत्रावली पर पेश किया। उपरोक्त कथनों के आलोक में विवादित आराजी पर अपीलान्ट का लगातार कब्जा काश्त चला आना प्रमाणित नहीं होता है। अपीलाधीन आवंटन आदेश को केवल प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी का उल्लेख नहीं किये जाने से न्यायालय के मत में त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 03.06.1989 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14-02-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर